

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6, 1982/माघ 17, 1903
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6, 1982/MAGHA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1982

आय-कर अधिनियम, 1981

का. आ. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 431 (अ) तारीख 11 जून, 1981 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य और राजस्व विभाग में भारत सरकार के पदेन अपर सचिव श्री एम. एस. कपूर को, आयुक्त के ऐसे पूर्व अनुमोदन से, जो उक्त श्री एस.

एस. कपूर का, जब वे आयकर आयुक्त थे, अनुमोदन नहीं है, आयकर अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध आवेदनों पर आदेश पारित करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।

[नं. 4461/फा. सं. 287/18/78-आयकर (आई. एन. बी.)-3]

ए. एन. मिश्र, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1982

INCOME-TAX ACT, 1961

S.O. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 431(E) dated the 11th June, 1981, the Central Government hereby notifies Shri S. S. Kapur, Member, Central Board of Direct Taxes and ex-officio Additional Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, as the authority for the purpose of passing orders on applications against any order made under sub-section (5) of the said section by an Income-tax Officer with the previous approval of the Commissioner, not being the approval of the said Shri S. S. Kapur when he was Commissioner of Income-tax.

[No. 461/F. No. 287/18/78-IT (INV)-III]

A. N. MISRA, Director.